राजस्थान सरकार,

कृषि निदेशालय, पंत कृषि भवन, जयपुर, राजस्थान।

क्रमांक–प.4 (IV) यंत्र/2017–18/499–729 दिनांक: 04-5-2017

समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद् .....।

विषय :– सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाईजेशन (SMAM) नेशनल मिशन ऑन ऑयलसीड एण्ड ऑयलपॉम (NMOOP) तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (NFSM) के अन्तर्गत कृषि यंत्र अनुदान वितरण कार्यक्रम वर्ष 2017–18 के लिए सामान्य दिशा–निर्देश।

उपरोक्त विषयान्तर्गत सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाईजेशन, नेशनल मिशन ऑन ऑयलसीड एण्ड ऑयलपॉम तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अन्तर्गत कृषि यंत्र अनुदान वितरण कार्यक्रम वर्ष 2017–18 के लिए सामान्य दिशा निर्देश निम्नानुसार होंगे :–

1 <u>कृषक पात्रता</u> :–

1.1 समस्त श्रेणी के कृषकों को लाभान्वित किया जावेगा। अनुसूचित जाति/जनजाति, महिलाओं, बी.पी.एल, सीमान्त, लघु एवं अर्धमध्यम कृषकों को प्राथमिकता दी जायेगी। **"पहले आओ पहले पाओ"** के आधार पर वरीयता निर्धारित कर पात्र कृषकों को अनुदान दिया जायेगा। ऐसे कृषकों को प्राथमिकता दी जायेगी, जिन्हें आज तक विभाग की किसी भी योजना में कोई लाभ नहीं दिया गया हो।

1.2 विभागीय योजनाओं के अन्तर्गत अनुदान हेतु कृषकों को राजस्व रिकार्ड के आधार पर भूमि का स्वामित्व रखने, सामान्य या विशेष आवंटी होने या गैर खातेदार होने पर अनुदान हेतु पात्र माना जाता है। इसी प्रकार कृषक के स्वयं के नाम से भू–स्वामित्व नहीं होने की स्थिति में (कृषक के पिता के जीवित होने या मृत्यु पश्चात् नामान्तरण के अभाव में) यदि आवेदक कृषक द्वारा स्वयं के पक्ष में भू–स्वामित्व में नोशनल शेयर धारक का प्रमाण पत्र राजस्व/हल्का पटवारी से प्राप्त कर आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसे कृषक भी अनुदान हेतु पात्र माने जायेंगे।

1.3 एक कृषक को विभाग की किसी भी योजना में एक प्रकार के कृषि यंत्र (उदाहरणार्थ–सीड कम फर्टिलाईजर ड्रिल, प्लाउ, थ्रेसर इत्यादि) पर तीन वर्ष की कालावधि में केवल एक बार ही अनुदान देय होगा। एक कृषक को एक वित्तीय वर्ष में समस्त योजनाओं में अलग प्रकार के अधिकतम 3 कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जा सकेगा।

1.4 कृषकों को चिन्हित/अनुमोदित कृषि यंत्रो पर भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुरूप निर्धारित सीमा तक अनुदान दिया जा सकता है। तीनों योजनाओं के अन्तर्गत योजनावार एवं यंत्रों की श्रेणी अनुसार देय अनुदान का विवरण परिशिष्ठ–1 पर उपलब्ध है।

1.5 कृषि निदेशालय द्वारा योजनावार आवंटित वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप प्रगति प्राप्त की जावे। भौतिक लक्ष्यों के विरूद्ध प्रगति कम अथवा अधिक हो सकती है परन्तु किसी भी स्थिति में आवंटित वित्तीय लक्ष्यों से अधिक राशि व्यय नहीं की जावे।

2 <u>कृषि यंत्रों का क्रय</u> :–

2.1 **आपूर्ति स्त्रोत** : अधिकृत/पंजीकृत क्रय विक्रय सहकारी समिति/ग्राम सेवा सहकारी समिति अथवा राज्य के किसी भी जिले में पंजीकृत निर्माता/विक्रेता से कृषि यंत्र क्रय करने पर ही अनुदान देय होगा।

2.2 **हस्त चलित/बैल चलित/शक्ति चलित/ट्रेक्टर चलित/स्वचलित अथवा अन्य श्रेणी के कृषि यंत्रों का क्रय** : कृषक उपरोक्त में से किसी भी श्रेणी का कृषि यंत्र अनुदान पर क्रय करने के लिए संबंधित जिले के कृषि कार्यालय में कृषि यंत्रों के वित्तीय लक्ष्यों की सीमा में भौतिक लक्ष्य होने की लिखित विभागीय सहमति के उपरान्त पंजीकृत आपूर्ति स्त्रोत से मोल भाव कर पूरी कीमत चुका कर कृषि यंत्र क्रय करने हेतु स्वतंत्र होंगे।

2.3 संबंधित कृषक को यंत्र क्रय करने के उपरान्त यथाशीघ्र अनुदान हेतु आवेदन करना होगा तथापि कृषक संबंधित वित्तीय वर्ष में अनुदान हेतु पात्र माना जायेगा।

2.4 यदि कृषक द्वारा यंत्रों का क्रय अन्य जिलों के पंजीकृत स्त्रोतों से किया गया है, तो कृषक के द्वारा उस जिले के पंजीकृत आपूर्ति स्त्रोत का प्रमाण अनुदान क्लेम के साथ प्रस्तुत करना होगा।

3 **अनुदान हेतु आवेदन एवं अनुदान क्लेम्स का निस्तारण** : कृषकों को अनुदान प्राप्त करने के लिए अपने क्षेत्र में स्थित ई–मित्र कियोस्क पर निर्धारित/लागू शुल्क, यदि कोई हो तो, जमा करवाकर समस्त आवश्यक दस्तावेजों की स्केण्ड कॉपी सहित ऑनलाईन आवेदन करना अनिवार्य होगा। किसी भी जिले के कियोस्कों की सूची www.emitra.gov.in पर देखी जा सकती है। अनुदान हेतु पंजीकरण की पावती संबंधित कियोस्क द्वारा कृषक को दी जायेगी। सभी श्रेणी के कृषि यंत्रो पर अनुदान के लिए आवेदन पत्र पर कृषक की स्व–प्रमाणित फोटो, स्व–हस्ताक्षरित बिल की प्रति, भूमि स्वामित्व के दस्तावेज, ट्रेक्टर के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (R.C.) की प्रति (ट्रेक्टर चलित यंत्रों के लिये अनिवार्य), भामाशाह कार्ड/आधार कार्ड की प्रति, अनुदान क्लेम विभाग के स्थानीय कर्मियों/अधिकारियों के द्वारा प्रमाणित होना, बचत खाते की पास बुक की फोटो प्रति तथा अन्य वांछनीय दस्तावेजों की स्केण्ड प्रतियां लगाया जाना अनिवार्य है।

3.1 भारत सरकार के निर्देशानुसार डी.बी.टी. (डायरेक्ट बेनेफिट ट्रान्सफर) योजना की अनिवार्यता को दृष्टिगत रखते हुये कृषक का आधार नम्बर/आधार कार्ड होना आवश्यक है। अपरिहार्य स्थिति में आधार नम्बर/आधार कार्ड नहीं होने पर भारत सरकार द्वारा योजनान्तर्गत मान्य दस्तावेजों में से किसी एक दस्तावेज की प्रति आवेदन के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।

3.2 उप निदेशक, कृषि (विस्तार) जिला परिषद् कार्यालय द्वारा प्राप्त आवेदनों को रजिस्टर में इन्द्राज कर भौतिक सत्यापन उपरान्त कृषकों को बजट की उपलब्धता के अनुरूप वरीयता के क्रम में नियमानुसार अनुदान से लाभान्वित किया जायेगा।

3.3 कृषकों के अनुदान क्लेम का भुगतान उनके बैंक खाते में ऑनलाईन ही देय होगा।

3.4 अन्य जिले के पंजीकृत स्त्रोत से कृषकों द्वारा सीधी खरीद के क्लेम का भुगतान उपरोक्त प्रक्रिया के अनुरूप ही किया जावेगा।

3.5 **पंजीकृत निर्माताओं/विक्रेताओं को सीधे अनुदान राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा।**

4 **कृषि यंत्र निर्माताओं/विक्रेताओं का पंजीकरण :–**

कृषि यंत्र निर्माता/विक्रेता स्वयं की फर्म के पंजीकरण हेतु आवश्यक दस्तावेजों सहित किसी भी कार्य दिवस में किसी भी उप निदेशक, कृषि (वि0) जिला परिषद के कार्यालय में आवेदन कर सकते है। पंजीकरण की प्रक्रिया वर्ष भर चालू रहेगी तथा पंजीकरण की वैधता अवधि 3 वर्ष तक होगी।

4.1 उप निदेशक, कृषि (वि0) जिला परिषद कार्यालयों द्वारा स्वयं के स्तर पर जांच कर समस्त अर्हताओं को पूर्ण करने वाले आवेदनों का पंजीकरण तत्काल कर आवेदकों को पंजीयन पत्र देना होगा।

4.1.1 सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाईजेशन (SMAM) एवं नेशनल मिशन ऑन ऑयलसीड एण्ड ऑयलपॉम (NMOOP) योजनाओं में कृषि यंत्रों का वर्गीकरण बी.एच.पी. के आधार पर किये जाने के कारण पंजीकरण किये जाने वाले यंत्रों के समक्ष उनकी युक्तिसंगत बी.एच.पी. का उल्लेख आवश्यक रूप से करावें ताकि अनुदान वितरण निर्धारित श्रेणी के अनुसार किया जा सके।

4.2 राशि रू. 25,000 से अधिक की लागत के कृषि यंत्रों पर भारत सरकार के मान्यता प्राप्त संस्थान से जारी कॉमर्शियल टेस्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर ही अनुदान देय होगा। कॉमर्शियल टेस्ट रिपोर्टस् के पुराने होने तथा परीक्षण संस्थान द्वारा यंत्र के विभिन्न हिस्सों में सुधार की अनुशंषा अनुसार अनुपालना रिपोर्ट नहीं होने की स्थिति में सम्बन्धित निर्माताओं/अधिकृत विक्रेताओं से इस प्रकार की कॉमर्शियल टेस्ट रिपोर्टस् के सम्बन्ध में 10/-- रू. के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर इस आशय का शपथ पत्र आवश्यक रूप से संलग्न करावें कि उनकी फर्म द्वारा टेस्ट रिपोर्ट में वर्णित सुधार की अनुशंषा अनुसार आवश्यक सुधार कर लिये गये हैं, यंत्र में किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या होने पर उनकी फर्म स्वयं जिम्मेदार होगी तथा स्वयं के खर्चे पर फर्म द्वारा कृषक के यंत्र की तकनीकी समस्या को दूर किया जावेगा। इस प्रकार के शपथ पत्र के अभाव की स्थिति में ऐसी कॉमर्शियल टेस्ट रिपोर्ट्स के कृषि यंत्रों पर अनुदान नहीं दिया जावे।

4.3 राशि रू. 25,000 से कम की लागत के कृषि यंत्रों को पंजीकृत कर अनुदान देने हेतु भारत सरकार के निर्देशानुसार जिला स्तर पर उप निदेशक, कृषि (वि0) जिला परिषद को निम्न बिन्दुओं की पालना के अधीन अधिकृत किया जाता है:–

4.3.1 राशि रू. 25,000 से कम की लागत के कृषि यंत्रों के निर्माताओं/अधिकृत विक्रेताओं द्वारा कृषि यंत्र के स्पेसिफिकेशन/गुणवत्ता/कार्यशीलता के बारे में संतोषप्रद स्व–प्रमाणीकरण प्रस्तुत करने पर ही पंजीकरण किया जायेगा।

4.3.2 राशि रू. 25,000 से कम की लागत के कृषि यंत्रों के अन्तर्गत लैण्ड प्रीप्रेशन/सोईंग एण्ड प्लान्टिंग/इन्टर कल्टीवेशन/हारवेस्टिंग एण्ड थ्रेसिंग/ट्रांसपोर्टेशन संक्रियाओं हेतु उपयोग में लाये जाने वाले हस्त चलित, उद्यानिकी, पशुचलित/मानव चलित/ट्रेक्टर चलित उपकरण समावेशित/कवर किये जायेंगे।